न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, नर्मदापुरम (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार)

(आदेश की तारीख : 09.05.2026)

Registration No. :-	SCATR NO - 236/2025
Filing No. :-	SCATR/4953/2025
CNR No. :-	MP050100-6028-2025
Date of Filling	12-12-2025
Date of Registration	12-12-2025

प्र.सू.रि. / अपराध कं.– 153 / 2025	पुलिस आरक्षी केन्द्र डोलरिया, जिला नर्मदापुरम्, म.प्र.

परिवादी / अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र डोलरिया जिला – नर्मदापुरम् (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मनोज कुमार चौरे अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्त	पीयूष राठौर आत्मज हरिओम राठौर, आयु–21 वर्ष, निवासी–ग्राम टिगरिया, थाना डोलरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अरविंद खंडेलवाल अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	12.10.2025
प्र.सू.रि. की तारीख	13.10.2025
आरोप–पत्र की तारीख	14.11.2025

निरंतर....2

अभियोग पत्र प्रस्तुति की तारीख	12.12.2025
आरोपों के विरचना की तारीख	21.01.2026
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	25.04.2026
निर्णय/आदेश सुरक्षित किए जाने की तारीख	09.05.2026
निर्णय/आदेश की तारीख	09.05.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
जमानत परं	पीयूष राठौर	07.11.2025	07.11.2025	296, 115(2), 351(3) BNSS & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) SCST P.A. Act 1989	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.01	आकेश अश्वारे	फरियादी/आहत साक्षी

निरंतर....3

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01.	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01.	निरंक	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :–

क. अभियोजन :–

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी 01 / अ.सा.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02.	प्रदर्श पी 02 / अ.सा.01	जप्तीपत्रक
03.	प्रदर्श पी 03 / अ.सा.01	जाति प्रमाण पत्र
04.	प्रदर्श पी 04 / अ.सा.01	पुलिस कथन आकेश अश्वारे

ख. प्रतिरक्षा :–

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :–

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं :–

सं. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
01.	निरंक	निरंक

निरंतर....4

—:: आदेश अंतर्गत धारा 255 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ::—

(आज दिनांक 09.05.2026 को पारित किया गया)

01— अभियुक्त पीयूष राठौर के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (जिसे अत्र पश्चात् ''बी.एन.एस.'' से संबोधित किया गया है) की धारा 296, 115(2), 351(3) तथा धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 (अत्याचार निवारण) (जिसे अत्र पश्चात् ''अधिनियम 1989'' से संबोधित किया गया है) के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं।

02— अपराध का शमन— यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान आज दिनाँक 09.05.2026 को फरियादी आकेश अश्वारे द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया गया है। उक्त आधार पर अभियुक्त को राजीनामा योग्य अपराध धारा 115(2), 351(3) बी.एन.एस. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है, इसलिये अब अभियुक्त पर बी.एन.एस की धारा 296 एवं अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत दंडनीय आरोप विचारणीय है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि फरियादी आकेश अश्वारे ने दिनांक 13.10.2025 को थाना डोलरिया में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12.10.2025 को शाम 07:30 बजे वह अपने गांव टिगरिया की नहर की पुलिया पर बैठा था जहां आरोपी पीयूष राठौर आया। आरोपी से उसने कहा कि तू मेरे बच्चे को बहुत परेशान कर रहा है तो आरोपी बोला कि मादरचोद ज्यादा बात करता है। गालियां देने से मना करने पर आरोपी ने उसे डंडे से मारा, जिससे उसके सिर, दाहिने हाथ, बांये पैर में चोट आई तथा सिर से खून निकलने लगा। आरोपी बोल रहा था कि अगली बार उससे बहस की तो जान से खत्म कर दूंगा।

04— फरियादी की उक्त आशय की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना डोलरिया जिला नर्मदापुरम् में धारा 296, 115(2), 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध क्रमांक 153/2025 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(2) बी.एन.एस. एवं ''अधिनियम 1989'' की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) के अधीन अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर एससीएटीआर प्रकरण क्रमांक 236/2025 पंजीबद्ध होकर

निरंतर....5

मामले का विचारण प्रारम्भ किया गया।

05— अभियुक्त के विरूद्ध इस आदेश की कंडिका—1 के अनुसार आरोप विरचित् किए गए, जिन्हें अभियुक्त ने अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। अभियुक्त के विरूद्ध विचारणीय आरोप के संदर्भ में अभियोजन साक्षी फरियादी आकेश अश्वारे (अ.सा.01) ने अभियोजन पक्ष की पुष्टि नहीं की है, इसी कारण से अभियोग पत्र में दर्शित शेष साक्षीगण के कथनों से भी अभियोजन पक्ष की पुष्टि होने पर भी दोषसिद्धि की संभावना न होने से संबंधित शेष साक्षीगण के कथन नहीं कराये जाकर अभियोजन द्वारा पक्ष समाप्त किया गया है।

06— प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण लिया जाये, इस कारण से प्रकरण में अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

07— अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संदर्भ में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा है ?

08— फरियादी आकेश अश्वारे (अ.सा.01) के अनुसार वह आरोपी पीयूष राठौर को जानता है, उसके गांव का है, आरोपी राठौर जाति का होकर सामान्य वर्ग का है। फरियादी ने स्वयं को अश्वारे जाति का होकर अनुसूचित जाति का सदस्य होना व्यक्त किया है। तत्संबंध में पुलिस ने फरियादी आकेश अश्वारे का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—03 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—02 अनुसार लिया था। उक्त जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—03 प्राधिकृत प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार उसकी जाति अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक—14 पर विनिर्दिष्ट होना प्रथम दृष्ट्या दर्शित होता है, जिसमें फरियादी की जाति चमार होना उल्लेखित है, जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत मान्यता रखती होना लेख किया गया है। आरोपी की ओर से उक्त जाति प्रमाण पत्र की वैधानिकता को कोई चुनौती नहीं दी गयी है, आरोपी की ओर से यह तथ्य भी आक्षेपित नहीं किया गया है कि फरियादी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हैं। आरोपी ने इस तथ्य को आक्षेपित नहीं किया है कि वह स्वयं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं। अतः यह प्रमाणित है कि फरियादी आकेश अश्वारे अनुसूचित जाति का सदस्य है और

निरंतर....6

आरोपी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं।

09– फरियादी आकेश अश्वारे (अ.सा.01) के न्यायालयीन कथनानुसार घटना वर्ष 2025 के दसवे महीने की है। उसका आरोपी से बच्चों को लेकर वादविवाद हो गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। उसने गुस्से में आकर थाना डोलरिया में रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 दर्ज करायी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की, न ही उसके साथ मारपीट की, न ही उसे जाति को लेकर अपमानित किया और न ही उसे जान से मारने की धमकी दी।

10– उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षित भी किया गया है, लेकिन उसके पश्चात् भी फरियादी आकेश अश्वारे (अ.सा.01) ने अभियोजन द्वारा दिये गये समस्त सुझावों को अस्वीकार किया है। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी–04 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसी रिपोर्ट लिखाने एवं ऐसा पुलिस कथन देने से इन्कार किया है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है, किंतु यह अस्वीकार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी को बचाने के लिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

11– इस प्रकार फरियादी आकेश अश्वारे (अ.सा.01) ने अभियुक्त द्वारा उसे सार्वजनिक स्थान या उसके करीब मां–बहन की अश्लील गालियां उच्चारित करने तथा उसके साथ जातिगत आधार पर घटना कारित करने के कथन नहीं किये हैं। चूंकि प्रकरण के फरियादी द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन की कहानी को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

12– प्रकरण में फरियादी आकेश अश्वारे (अ.सा.01) के अतिरिक्त शेष साक्षियों को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे यह प्रमाणित माना जा सके कि अभियुक्त ने फरियादी के विरूद्ध आरोपित अपराध कारित किये हैं। अतः अभियोजन, अभियुक्त पीयूष राठौर के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है।

13– अतः अभियुक्त पीयूष राठौर को शेष आरोपित अपराध अंतर्गत बी.एन.एस की धारा 296 एवं अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

निरंतर....7

14– धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेगें। इस अवधि के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा आज पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत होती है, तो अपील का नोटिस प्राप्त होने पर अभियुक्त माननीय अपीलीय न्यायालय में स्वयं को उपस्थित रखेंगे।

15– जाँच और विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाये।

16– प्रकरण में फरियादी आकेश अश्वारे (अ.सा.1) से उसका जाति प्रमाण–पत्र जप्त किया गया है, फरियादी के द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर अपील अवधि पश्चात् उसका जाति प्रमाण पत्र वापस किया जावे। अपील होने की दशा मे माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

17– आदेश की प्रति जिला दण्डाधिकारी, नर्मदापुरम को धारा–406 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान के अनुसार प्रेषित की जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही/–
(मनोज कुमार)
विशेष न्यायाधीश (पी.एट्रोसिटीज)
नर्मदापुरम् (म.प्र.)

MANOJ KUMAR
Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.05.09 16:59:05 +0530

सही/–
(मनोज कुमार)
विशेष न्यायाधीश (पी.एट्रोसिटीज)
नर्मदापुरम् (म.प्र.)

दिनांक : 09 मई 2026, स्थानः नर्मदापुरम्, म.प्र.।

निरंतर....